कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी म0प्र0

राष्ट्रीय अल्प बचत योजनान्तर्गत एजेन्ट

राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं मे जिले के शिक्षित मैट्रिक योग्यता रखने वाले बेरोजगार वयस्क स्त्री/पुरुष को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं,जिसके अन्तर्गत कार्य के समय का स्वयं निर्धारण के साथ नियमित आय होती है। जिले के शिक्षित मैट्रिक योग्यता रखने वाले बेरोजगार वयस्क स्त्री/पुरुष राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं मे एजेन्ट बन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

- **एजेंसी के प्रकार** – 1. स्टैंण्डराईज्ड एजेंसी सिस्टम
  2. महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना

- **एजेन्ट के कार्य**– जन सामान्य को राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं की जानकारी देकर योजनाओं में निवेश के लिए जन सामान्य को प्रोत्साहित करना एवं राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में नियमानुसार राशि डाकघर में जमा करवाकर प्रमाण–पत्र, पास–बुक निवेशक तक पहुॅचाना है।

- **परिश्रमिक (कमीशन)**– स्टैंण्डराईज्ड एजेंसी सिस्टम के अन्तर्गत डकघर की बचत योजनाऍ – किसान विकाश पत्र , राष्ट्रीय बचत पत्र , मासिक आय योजना, सावधि जमा खाता , मासिक आय योजना में निवेश पर 0.5 प्रतिशत **तथा** महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अन्तर्गत डकघर के 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता में निवेश पर 04 प्रतिशत परिश्रमिक (कमीशन) डाकघर द्वारा भुगतान किया जाता है।

1. नवीन एजेंसी– स्टैंण्डराईज्ड एजेंसी सिस्टम

- **स्टैंण्डराईज्ड एजेंसी सिस्टम की एजेंसी कौन ले सकता है–**
  वयस्क स्त्री – पुरुष।
- **नियुक्ति प्राधिकारी–** कलेक्टर , कटनी
- **स्टैंण्डराईज्ड एजेंसी सिस्टम की एजेंसी हेतु दस्तावेज –**
  1. आवदेन पत्र – फार्म ए.ए.एस.–1
  2. करार – फार्म ए.ए.एस.–4
  3. कन्डक्ट सर्टिफिकेट–दो सक्षम अधिकारी के अलग–अलग।
  4. घोषणा–पत्र (रुपए 50/– स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)
  5. योग्यता– हाईस्कूल/हायर सेकण्ड्री ।
  6. जमानत में रुपए 2000/– का बचत पत्र। आवेदक/आवेदिका के नाम।
  7. निवासी हेतु–निवास प्रमाण–पत्र/आधार कार्ड ,राशन कार्ड/ बोटर आई डी।
  8. आवेदक/आवेदिका का चरित्र सत्यापन के लिए निर्धारित फार्म ।

- **स्टैंण्डराईज्ड एजेंसी सिस्टम नवीनीकरण हेतु दस्तावेज**
  1. आवदेन पत्र – फार्म ए.ए.एस.– 1ए
  2. करार – फार्म ए.ए.एस.–4
  3. कन्डक्ट सर्टिफिकेट दो सक्षम अधिकारी के अलग–अलग।
  4. घोषणा–पत्र (रुपए 50/– स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)
- नवीनीकरण हेतु एजेंसी वैधता समाप्ति तिथि के पूर्व निर्धारित दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2. नवीन एजेंसी – महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना

- **महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंसी कौन ले सकता है –**
  वयस्क स्त्री।
- **नियुक्ति प्राधिकारी–** कलेक्टर , कटनी
- **महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंसी हेतु दस्तावेज –**
  1. आवदेन पत्र – फार्म ए.एस.एल.ए.ए.एस.–1(बी)
  2. करार – फार्म ए.एस.एल.ए.ए.एस.–3 (परिवद्धित)
  3. कन्डक्ट सर्टिफिकेट–दो सक्षम अधिकारी के अलग–अलग।
  4. घोषणा–पत्र (रुपए 50/– स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)
  5. योग्यता– हाईस्कूल/हायर सेकण्ड्री ।
  6. जमानत में रुपए 1000/– का बचत पत्र। आवेदिका के नाम।
  7. निवासी हेतु–निवास प्रमाण–पत्र/आधार कार्ड,राशन कार्ड/ बोटर आई डी।
  8. आवेदिका का चरित्र सत्यान के लिए निर्धिारित फार्म ।
- **एम.पी.के.बी.वाय.एजेंसी नवीनीकरण हेतु दस्तावेज**
  1. आवदेन पत्र – फार्म ANNEXURE 14
  2. करार – फार्म ए.एस.एल.ए.ए.एस.–3 (परिवद्धित)
  3. कन्डक्ट सर्टिफिकेट दो सक्षम अधिकारी के अलग–अलग।
  4. घोषणा–पत्र (रुपए 50/– स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)
- नवीनीकरण हेतु एजेंसी वैधता समाप्ति तिथि के पूर्व निर्धारित दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आज की बचत,
कल की सुरक्षा

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें–
जिला संस्थागत वित्त अधिकारी
कलेक्ट्रेट कटनी
मो0 9424727491